बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि 01-02/2020 खण्ड-II 192 /पटना, दिनांक : 29/01/2021

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
बिहार।

विषय: **पूर्व में नामांकन किये अभ्यर्थियों द्वारा पुनः नामांकन करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 77 एवं 78 दिनांक 11.01.2021 द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.01.2021 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बीच कतिपय जिलों से पृच्छा की जा रही है कि पूर्व में नामांकन किये अभ्यर्थियों को पुनः नामांकन करने की आवश्यकता है अथवा नहीं।

2. **चूँकि एक लंबी अवधि बीत जाने के बाद चुनाव हो रहा है एवं इसकी नई अधिसूचना जारी की गयी है, ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को नामांकन करना अनिवार्य है। पूर्व के नामांकन की कोई वैधता नहीं होगी।**

3. अधिसूचना संख्या 77 दिनांक 11.01.2021 द्वारा जिन पैक्सों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है, उनमें वैसे पैक्सों के नाम भी शामिल हैं, जिनका निर्वाचन कोरम के अभाव के कारण संपन्न नहीं हो सका था और उनमें नामांकन की प्रक्रिया संपन्न करायी जा चुकी थी। साथ ही कुछ पैक्सों का नाम मतदाता सूची विवाद के कारण नामांकन प्रक्रम पर निर्वाचन हेतु अधिसूचित पैक्सों की सूची से विलोपित किया गया था। ऐसे पैक्सों में भी नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी। इन पैक्सों के वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में नामांकन शुल्क दे चुके हैं, उन्हें नये नामांकन के साथ नामांकन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. अधिसूचना संख्या 78 दिनांक 11.01.2021 द्वारा वैसे पैक्सों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है, जो निर्वाचन शुल्क जमा कर पाने में असमर्थ हैं और उनके निर्वाचन शुल्क की राशि नामांकन शुल्क से प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है। ऐसे पैक्सों के अभ्यर्थियों को नामांकन के साथ नामांकन शुल्क की राशि भी जमा करनी होगी। अर्थात् पूर्व के नामांकन के साथ जमा नामांकन शुल्क की मान्यता नहीं होगी और नये नामांकन के साथ पुनः नामांकन शुल्क जमा करना होगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

29.1.21

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

BSEA dt. 28.01.2021 Vasant